न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 13/2018

बउनवान

रामगोपाल आयु 81 वर्ष पुत्र श्री लालू जाति–कुश्वाह निवासी–छीपाबडौद तहसील–छीपाबडौद जिला–बारां (राज0) **(प्रार्थी)**

बनाम

1– दीनदयाल आयु 66 वर्ष पुत्र श्री शंकरलाल जाति–काछी
2– परमानंद आयु 65 वर्ष पुत्र शंकरलाल जाति–काछी
निवासीगण–छीपाबडौद तहसील–छीपाबडौद जिला–बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा **(अप्रार्थीगण)**

प्रार्थनापत्र धारा, 235 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–1. श्री महेशचन्द गौतम अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2. श्री मदनलाल गालच, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

निर्णय दिनांक – 18.07.2019

1– प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका एक प्रार्थनापत्र धारा, 251(ए) आरटीए का अधीनस्थ न्यायालय में लंबित है जिसमे अप्रार्थी क्रम–1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ है। प्रकरण में प्रतिवादी क्रम–1 दीनदयाल पेशे से अधिवक्ता है तथा छीपाबडौद में स्थित न्यायालयों में जिसमें अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल है, वकालत करते है। अप्रार्थी अपने अधिवक्ता होने का उपयोग करते है तथा पीठासीन अधिकारी को अपने प्रभाव में रखते है जिससे प्रक्रिया प्रभावित होने की पूरी संभावना है। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय को सुनवायी हेतु स्थानान्तरित कराना चाहता है। अतः न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद से अन्य सक्षम क्षैत्राधिकार प्राप्त न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

2– इस पर प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,छीपाबडौद से मूल रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण के उपस्थित होकर जवाब पेश करने एवं रेकार्ड प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

3– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने उपखण्ड न्यायालय छीपाबडौद में विवादित आराजी ख0नं0 736 वाके ग्राम छीपाबडौद को राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने हेतु धारा, 251(ए) आरटीए के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थीगण पेश किया था। अप्रार्थी दीनदयाल पक्षकार है तथा पेशे से

अधिवक्ता है तथा उपखण्ड छीपाबडौद के सभी न्यायालयों में वकालात करते है जिनके अधिकारी से अच्छे संबंध है। अप्रार्थी अपने प्रभाव से न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे है। पीठासीन अधिकारी का झुकाव भी अप्रार्थी की ओर हीं है। विधि का नियम है कि यदि पक्षकार अधिवक्ता है तो ऐसे प्रकरण की संबंधित न्यायालय में सुनवाई नहीं की जा सकती। अपने कथन के समर्थन में विधिदृष्टांत Cr.R.(raj.)2003(1) पेज 828 की प्रति पेश की। इस विपरीत अप्रार्थीगण अभिभाषक का तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की गयी है। प्रार्थी द्वारा अकारण प्रकरण को लम्बा करने की गरज से अनावश्यक आपत्ति लगाकर, वाद स्थानान्तरण चाहते है। यदि बिना कारण प्रकरण को अन्तरित किया गया तो न्याय प्रभावित होगा।

5— उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध रकार्ड एवं दस्तावेजात् को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा रहीं है। प्रार्थी की मुख्य आपत्ति अप्रार्थी पेशे से अधिवक्ता होने से न्याय प्रभावित करने की रहीं है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है जिससे प्रार्थी अभिभाषक के कथन की पुष्टि होती है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर भी हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली वापस उपखण्ड अधिकारी,छीपाबडौद को सुनवाई हेतु भिजवायी जावे। पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद में दिनांक 29.07.2019 को उपस्थित होंवे।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Indra Singh Rao
Date: 2019.07.26 11:13:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: